3

क्रम-संख्या—272

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004

अग्रहायण 15, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

(विधायी अनुभाग–1)

संख्या 1569/सात–वि-1-1(क)37/2004

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2004

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 3 दिसम्बर 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2004]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983 की धारा 3 का संशोधन

2—संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 3 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

3—"संस्थान, यदि वह समीचीन समझता है, लखनऊ में स्थापित विद्यमान संस्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सेटेलाइट संस्थान विकसित कर सकता है, और ऐसे सेटेलाइट संस्थान के कार्य संचालन के लिए ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसी कि संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए वह आवश्यक समझे।"

उद्देश्य एवं कारण

राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में रहती है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आधुनिकतम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व एवं प्राथमिकता है। वर्तमान में अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधायें राज्य में लखनऊ में स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं, परन्तु यह सुविधायें राज्य में केवल एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं तथा वर्तमान में इसका अन्य कोई सेटेलाइट संस्थान/केन्द्र स्थापित नहीं है जिसके कारण राज्य की बहुत बड़ी जनसंख्या को अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधायें समय से उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा हैं। उक्त, तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को राज्य में अन्य स्थानों पर सेटेलाइट केन्द्र विकसित/स्थापित किये जाने के लिए सशक्त करने हेतु "संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983" को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1569/VII-V-1-1(Ka)37/2004
Dated Lucknow, December 6, 2004

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sanjay Gandhi Snatakottar Ayurvigyan Sansthan (sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 6, 2004.

THE SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2004

[U.P. ACT No. 31 OF 2004]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 30 of 1983

2. In Section 3 of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) the institute may, if it considers expedient, develop satellite Institutes at other places in addition to the Institute established at Lucknow and may take such action as it may consider necessary for the conduct of business of such satellite Institute in furtherance of the objects of the Institute".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Eighty per cent population of the State are living in rural area. It is the responsibility and priority of the State Government to make available the latest medical facility to such a large population. At present very specialised medical facilities are being made available by the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences situated at Lucknow, but this facility available at only one place and at present there is no other satellite Institute/Centre thereof has been established due to which, it is not possible to make available the very specilised medical facilities timely to the substantial population of the State. With the above facts inview it has been decided to amend the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 to empower the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Lucknow to develop/establish satellite centres at other places in the State.

The Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,

D. V. SHARMA,

Pramukh sachiv.

पी०एस०यू०पी०ए०पी० 727 राज्यपत्र (हिन्दी)—2004—(1788)—597 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०ए०पी० 202 सा० विधा०—2004—1789—850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।